न्यायालय – अपर सेशन न्यायाधीश सं0–2 नोहर, जिला–हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– **रामकन्या सोनी,**
R.J.S.(D.J. Cadre)

दाण्डिक पुनरीक्षण सीआईएस सं0 :– 21/2024

विकास पुत्र बनवारीलाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

––निगरानीकर्ता

विरूद्ध

01. राजस्थान राज्य जरिए अपर लोक अभियोजक नोहर।

02. हरभज पुत्र धर्मपाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

––गैरनिगरानीकर्तागण

फौजदारी निगरानी अंतर्गत धारा 397 दं0प्र0सं0 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–01–2024 द्वारा श्री अजय कुमार पूनिया आर.जे.एस. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नोहर द्वारा एफ.आर. संख्या–51/2019 बअनवानी विकास बनाम हरभज में पारित किया गया, को अपास्त करने हेतु।

उपस्थिति –:

01. श्री बाबूलाल सहारण सहारण, अधिवक्ता – निगरानीकर्ता की ओर से।

02. श्री दिनेश भाटी, अ0लो0अ0 – गैरनिगरानीकर्ता सं0 1 की ओर से।

03. गैरनिगरानीकर्ता सं0 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

–: आदेश :–

दिनांक –: 02–07–2026

01. निगरानीकर्ता की ओर से यह निगरानी विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नोहर द्वारा एफ.आर. प्रकरण संख्या 51/2019 बअनवानी विकास बनाम हरभज में पारित आदेश दिनांक 30–01–2024 के विरूद्ध यह निगरानी दिनांक 26–04–2024 को न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश सं0–1 नोहर के समक्ष प्रस्तुत की गई। जहां से यह निगरानी

माननीय जिला एवम् सेशन न्यायाधीश महोदय हनुमानगढ़ के आदेशानुसार इस न्यायालय में अंतरित होकर प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई।

02. निगरानी के तथ्यों को दोहराते हुए अधिवक्ता निगरानीकर्ता का तर्क रहा है कि विचारण न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–01–2024 पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व सामग्री के विपरीत होने के कारण अपास्त किए जाने योग्य है एवम् यह भी तर्क दिया कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त हरभज द्वारा निगरानीकर्ता के पक्ष में इकरारनामा तस्दीक करना पूर्णतः साबित है। अभियुक्त हरभज के नाम से गोगामेड़ी में कोई दुकान नहीं होना भी साबित है। इस प्रकरण के अनुसंधान में पुलिस द्वारा दूसरी एफ.आई.आर. नम्बर 357/2018 पुलिस थाना नोहर का पूर्ण हवाला दिया है, जबकि दूसरी एफ.आई.आर. की जांच में इस इकरारनामा का विवरण नहीं दिया है। पत्रावली पर उपलब्ध धारा 161 दं0प्र0सं0 के बयान परिवादी के कथनों का पूर्ण समर्थन करते है। उक्त तथ्यों को विद्वान विचारण न्यायालय ने नज़रंदाज़ किया है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त किया जाए। उन्होंने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत (2022) 3 CriLR 1314, (2022) 3 CrLR 1221 पेश किए।

03. अपर लोक अभियोजक का तर्क रहा कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश वैध, शुद्ध व औचित्यपूर्ण है, इसलिए निगरानी खारिज की जाए।

04. दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया।

05. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश के अनुक्रम में पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि परिवादी विकास ने आरोपी हरभज के विरूद्ध एक परिवाद पत्र विचारण न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि परिवादी ने दिनांक 06–07–2018 को

अभियुक्त की बात पर विश्वास कर उससे दो दुकानों का दो लाख रूपए में सौदा कर अभियुक्त को 1,80,000/–रूपए नकद सौंप दिए और अभियुक्त ने परिवादी के पक्ष में इकरारनामा उसी दिन निष्पादित कर सौंप दिया। बाद में परिवादी को पता चला कि अभियुक्त ने जानबूझकर परिवादी से छल करने के उद्देश्य से कूटरचना करते हुए यह जानते हुए कि उसकी कोई खरीदशुदा दुकान गोगामेड़ी में स्थित नहीं है, परिवादी से 1,80,000/–रूपए हड़प लिए, आदि तथ्यों के परिवाद को धारा 156(3) दं0प्र0सं0 के तहत जांच हेतु पुलिस थाना नोहर भिजवाया गया। जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 487/2018 दर्ज की जाकर बाद अनुसंधान एफ.आर. अदम वकू (झूठ) में इस नतीजे के साथ पेश की कि परिवादी के पिता बनवारीलाल व आरोपी हरभज ने सहकारी समिति रामगढ़ के बैंक में गड़बड़ी कर लाखों रूपए की राशि गबन की थी। उसके पैसे जमा करवाने के लिए हरभज के पेटे उसके पिता धर्मपाल ने 6 बीघा जमीन का व हरभज ने दुकानों का इकरारनामा लिखाया था। मगर रूपए नहीं बनने के कारण सहमति से धर्मपाल से अपनी 6 बीघा जमीन विक्रय कर रूपए विकास को दे दिए, जो रकम बैंक में जमा हो गई और विश्वास करने के कारण इकरारनामे वापिस नहीं लिए, इस कारण परिवादी विकास ने लालच में आकर यह मुकदमा दर्ज करवाया है।

06. विचारण न्यायालय द्वारा बहस प्रसंज्ञान सुनकर यह निष्कर्षित किया कि इकरारनामा के गवाह देवीलाल व हेतराम ने अपने धारा 161 दं0प्र0सं0 के बयानों में स्वयं के समक्ष परिवादी द्वारा आरोपी को उक्त दुकान क्रय करने के पेटे 1,80,000/–रूपए दिए जाने से स्पष्ट इनकार किया तथा उक्त गवाहों ने इकरारनामा के निष्पादन से भी इनकार किया। इसी प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध अन्य गवाहान रामप्रताप, धनपत, ओमप्रकाश, लक्ष्मीनारायण, धर्मपाल, नत्थूराम, गौरीशंकर, जरनैल सिंह, दारा सिंह व स्वयं परिवादी के पिता बनवारीलाल ने भी अपने धरा 161 दं0प्र0सं0 के बयानों में परिवादी के कथनों का समर्थन नहीं किया तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम नतीजे का समर्थन किया। ऐसी स्थिति में विचारण

न्यायालय ने प्रश्नगत इकरारनामा का निष्पादन होना नहीं मानते हुए आरोपी के विरूद्ध धारा 420, 406, 467, 468, 471 भा0दं0सं0 के अपराध का प्रसंज्ञान लिए जाने का आधार नहीं माना है। निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत (2022) 3 CriLR 1314, (2022) 3 CrLR 1221 इस प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों की भिन्नता के कारण चस्पा नहीं होते हैं। इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य के आदेश के अवलोकन से प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध गवाहान के धारा 161 दं0प्र0सं0 के बयानों व अन्य दस्तावेजी साक्ष्य का सम्पूर्ण विवेचन व विश्लेषण करते हुए विस्तृत आदेश पारित किया है, जो वैध, शुद्ध व औचित्यपूर्ण है, जिसमें हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं होने से निगरानीकर्ता की निगरानी अस्वीकार कर खारिज किए जाने योग्य है।

–: आदेश :–

07. अतः निगरानीकर्ता विकास की ओर से प्रस्तुत निगरानी विरूद्ध गैरनिगरानीकर्तागण अस्वीकार कर **ख़ारिज़** की जाती है तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश दिनांक 30–01–2024 की पुष्टि की जाती है। आदेश की प्रति के साथ विचारण न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाए।

(रामकन्या सोनी)
अपर सेशन न्यायाधीश सं0–2,
नोहर, जिला हनुमानगढ़

08. आदेश आज दिनांक **02–07–2026** को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रामकन्या सोनी)
अपर सेशन न्यायाधीश सं0–2,
नोहर, जिला हनुमानगढ़